भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4335
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण

4335. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान शहरीकरण, औद्योगिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना विकास जैसे उद्देश्यों के लिए देश भर में अधिग्रहीत की गई कृषि और उपजाऊ भूमि के कुल क्षेत्रफल के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और कृषि संधारणीयता के संबंध में उपजाऊ भूमि के बड़े पैमाने पर संपरिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव पर कोई व्यापक अध्ययन किया गया या शुरू किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें क्या हैं;

(ग) भूमि अर्जन के दौरान अवसंरचना और औद्योगिक विकास के लिए भूमि प्रमुख कृषि भूमि के नुकसान से बचने या उसे न्यूनतम करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 2019 से अब तक गैर-कृषि उपयोग के लिए स्थायी रूप से संपरिवर्तित की गई अधिक पैदावार वाली या सिंचित कृषि भूमि का राज्य-वार और परियोजना-वार क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, औद्योगिक गलियारों या स्मार्ट शहरों के लिए भूमि अधिग्रहण से किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शहरीकरण, औद्योगिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि का केंद्रीय रूप से डेटा नहीं रखता है। 'भूमि उपयोग सांख्यिकी-एक नज़र वर्ष 2023-24' पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, जो वर्ष 2013-14 में 201.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 217.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है और शुद्ध बुवाई क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जो वर्ष 2023-24 में 138.99 मिलियन हेक्टेयर था। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार या कृषि सततता के संबंध में उपजाऊ भूमि के बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव पर विशेष रूप से कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया है या नहीं कराया है।

(ग) : केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 लागू किया है, जो दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 बहु फसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है, जब तक कि असाधारण मामलों में कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में, कृषि योग्य परती के बराबर क्षेत्र को कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाएगा या अधिग्रहित भूमि के मूल्य के बराबर राशि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश हेतु उपयुक्त सरकार के पास जमा की जाएगी। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, ऐसे रूपांतरणों को दृढ़ता से हतोत्साहित करता है। जहां कहीं भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, किसानों पर प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ और कुछ मामलों में, भूमि मुआवजे के लिए भूमि मुआवजा सहित प्रतिपूरक उपाय किए जाते हैं।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, जब भी उपयुक्त सरकार का किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने का आशय है, तो उसे प्रभावित क्षेत्र में गांव या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम से परामर्श करना होगा और उनके साथ परामर्श करके सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) करना होगा। एसआईए करते समय, अध्ययन में विभिन्न घटकों पर प्रभाव पर विचार करना चाहिए, जिसमें प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियां, परिसंपत्तियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क, सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी, स्वच्छता, पेयजल स्रोत, मवेशी जल स्रोत, सामुदायिक तालाब, चरागाह भूमि, वृक्षारोपण, और सार्वजनिक उपयोगिताएं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें, खाद्य भंडारण गोदाम, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और शैक्षिक या प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनवाड़ी, बच्चों के पार्क, पूजा स्थल, पारंपरिक जनजातीय संस्थानों के लिए भूमि और कब्रिस्तान या श्मशान घाट शामिल हैं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार, यदि किसी अन्य कानून के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) आवश्यक हो, तो उसे सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ-साथ किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार के साथ एक जन सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें प्रभावित परिवारों के विचार दर्ज किए जाएँ। इन विचारों को अंतिम सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) : भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने और कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में आने से रोकने के लिए उचित उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है।

भूमि संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को क्रियान्वित कर रहा है, जो मुख्य रूप से वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि के विकास पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी की स्थापना, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए उपाय, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का पूरक हैं। इस योजना को सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को अनुमोदित किया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने खेती के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इसमें वर्षा जल के बहाव के कारण मृदा अपरदन को रोकने के लिए हवा के कटाव को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट जैव-इंजीनियरिंग, रेत के टीलों का स्थिरीकरण और आश्रय पट्टी तकनीक और देश में समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए सुधार प्रौद्योगिकी शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, फ्लशिंग, अतिरिक्त पानी की निकासी, अच्छी गुणवत्ता वाला सिंचाई जल, संशोधनों को लागू करने, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं। आईसीएआर क्षरित मृदाओं को सुधारने और उन्हें फसल की खेती के अंतर्गत लाने के लिए कई कृषि संबंधी उपायों की भी सिफारिश करता है जिनमें पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (मैनर, जैव उर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सॉईल हेल्थ और उर्वरता के क्षरण को रोकने के लिए स्थल विशिष्ठ मिट्टी एवं जल संरक्षण उपाय भी हैं।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 बहु फसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है, सिवाय असाधारण मामलों में जहाँ कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में, कृषि के लिए समान परती भूमि विकसित की जानी चाहिए। कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने के आँकड़े राज्य स्तर पर रखे जाते हैं, क्योंकि संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है। तथापि, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, ऐसे परिवर्तनों को दृढ़ता से हतोत्साहित करता है, जब तक नितांत आवश्यक नही हो। जहाँ भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहाँ किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ, और कुछ मामलों में, भूमि मुआवजे के बदले भूमि सहित प्रतिपूरक उपाय किए जाते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उच्च उपज वाली या सिंचित कृषि भूमि को स्थायी रूप से गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने के संबंध में राज्यवार और परियोजनावार आंकड़े नहीं रखता है।

*****